



2026:AHC:61386

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन सं. - 9698 वर्ष 2026

मुनीर इदरीशी

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : मोहम्मद वसीम, जुलेखा बेगम

विपक्षी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता(जी.ए.)

न्यायालय सं. - 67

माननीय अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति

1. श्री मोहम्मद वसीम, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री नितेश श्रीवास्तव, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता(ए.जी.ए.) को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. यह द्वितीय जमानत आवेदन है जो मुकदमा अपराध संख्या 502 वर्ष 2025, बीएनएस की धाराओं 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2), थाना कोतवाली, जिला बरेली में विचारण की लंबितता के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है। आवेदक का प्रथम जमानत आवेदन, आपराधिक विविध जमानत आवेदन सं. 45466 वर्ष 2025,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दिनांक 12.02.2026 को नई जमानत आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता सहित न दबाया गया मानते हुए खारिज किया गया था।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं था, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि नदीम खान और डॉ. नफीस खान ने प्रथम सूचनादाता के हस्ताक्षर की जालसाजी कर एक पत्र में हेराफेरी की और राज्य के विरुद्ध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों में इसे प्रसारित किया। यद्यपि आवेदक के विरुद्ध कोई अपराधपरक सामग्री नहीं है, उसे प्रथम सूचनादाता के द्वितीय बयान के आधार पर इस मामले में झूठा फंसाया गया है, जिसमें यह आरोप है कि दिनांक 19.09.2025 की बैठक में, जिसे तौकीर रजा तथा सह-अभियुक्त नदीम द्वारा संबोधित किया गया था, आवेदक एक प्रतिभागी था, यद्यपि प्रथम सूचनादाता के बयान में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि तौकीर रजा और सह-अभियुक्त नदीम ने लोगों को प्रदर्शन में भाग लेने और इस्लाम खतरे में है के आधार पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने के लिए उकसाया। किंतु आवेदक के विरुद्ध कोई आरोप नहीं है कि उसने किसी को प्रदर्शन में भाग लेने या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने के लिए उकसाया या प्रेरित किया। आवेदक को पुलिस द्वारा उसके घर से गिरफ्तार करके इस मामले में झूठा फंसाया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक ने ग्यारह मामलों के आपराधिक इतिहास का स्पष्टीकरण दिया है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि इस मामले में आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि सह-अभियुक्त आरिफ को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन सं. 5921 वर्ष 2026 में दिनांक 25.02.2026 को पारित आदेश द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। इसलिए, समान भूमिका होने के कारण आवेदक भी समता के आधार पर जमानत पर रिहा होने का अधिकारी है। आवेदक दिनांक 10.11.2025 से जेल में बंद है।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता(ए.जी.ए.) ने जमानत की प्रार्थना का कड़ा विरोध किया किंतु उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

5. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के कथनों पर विचार करते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समान स्थिति में सह-अभियुक्त को

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जमानत पर रिहा किया जा चुका है तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए और अधिभारित जेलों तथा विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिक मामलों की भारी लंबितता को ध्यान में रखते हुए तथा **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 3038** के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अधिदेश पर विचार करते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरी राय है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। तदनुसार, प्रस्तुत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है।

6. उपरोक्त अपराध में संलिप्त आवेदक **मुनीर इदरीशी** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि में दो जमानतदारों के साथ व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

i. आवेदक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को न्यायालय या पुलिस अधिकारी को तथ्य बताने से हतोत्साहित करने के लिए कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा और न ही साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेगा।

ii. आवेदक कोई स्थगन मांगे बिना विचारण/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

iii. आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि या अपराध में लिप्त नहीं होगा।

iv. आवेदक उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

7. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

8. आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण बंधपत्र स्वीकार करने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापित किए जाएँ।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई हो और संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस वचन के साथ सत्यापित की गई हो कि 15 दिन के भीतर प्रमाणित प्रति दाखिल की जाएगी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. विचारण न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजे।

11. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के जमानत नीति रणनीति, संदर्भ में: स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) सं. 4 वर्ष 2021, दिनांक 31.01.2023 के आदेश, (2024) 10 एससीसी 685 के अनुपालन में इस आदेश की एक प्रति ई-मेल या ई-प्रिजन पोर्टल के माध्यम से संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से आवेदक को भेजे।

(अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति)

मार्च 25, 2026

एसए